प्रेस नोट **दिनांक 30.03.2026**

ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड किये गये 1,32,100/- (एक लाख बत्तीस हजार एक सौ) रुपये थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते ट्रेडिंग के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 1,32,100/- (एक लाख बत्तीस हजार एक सौ) रुयपये पीडित राजेश चौरसिया निवासी लग्गूपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की कुल 1,32,100 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामकर्ता-

1. म0आ0 प्रिया सिंह
2. म0आ0 शालिनी मौर्या

01 वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक टुल्लू पम्प बरामद-

श्रीमान पुलिस मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी महोदय घोसी के कुशल निर्देशन में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा दिनांक 30.03.2026 को कैलाशी देबी मोड से 01 अदद चोरी के टुल्लू पम्प के साथ थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 245/25 धारा 303(2) बीएनएस व मु.अ.सं. 190/25 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त पवन राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी चुम्मानार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग विवरण –

1. मु.अ.सं. 245/25 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी 317(2)/317(4) बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

2. मु.अ.सं. 190/25 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी 317(2)/317(4) बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

गिरफ्तारसुदा नाम पता अभियुक्तगण

1. पवन राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी चुम्मानार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद चोरी का टुल्लू पम्प

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. पंकज यादव थाना दोहरीघाट मऊ
2. उ.नि. संजय सिंह थाना दोहरीघाट मऊ
3. उ.नि.राहुल कुमार थाना दोहरीघाट मऊ
4. का. संजीव सिंह थाना दोहरीघाट मऊ
5. का. सदरे आलम थाना दोहरीघाट मऊ

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर **थाना चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण बद्री पुत्र रज्जू राम निवासी निजामपुर थाना चिरैयाकोट, 2 सुभावती सिंग पत्नी कमलेश सिंह,निवासी अल्देमऊ सरौदा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, **थाना कोपागंज** पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त गुड्डू पुत्र सुरेश यादव निवासी हसनपुर थाना कोपागंज, **थाना मधुबन** पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र दयाशंकर यादव निवासी उफरौली(शाखा प्रबन्धक) थाना मधुबन, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुगन यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी गुलौरी थाना हलधरपुर को गिरफ्तार कर चलान न्यायालय किया गया।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 02 दिवस साधारण कारावास की सजा व ₹1500 अर्थदंड से हए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय एसीजेएम कोर्ट मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 30-03-2026 को मु0अ0सं0 277/2003 धारा 292 भादवि व धारा 63 कॉपीराइट एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त परवेज पुत्र अलीरूल हसन निवासी शाही कटरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02 दिवस साधारण कारावास की सजा एवं ₹1500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।